फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला–ब्यावर

श्री अभिषेक कुमार बनाम मो० इशाकिम व अन्य

किस्म मुकदमा 111,128 एल.आर.एक्ट, नंम्बर 165 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.2025	वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सीपीसी का संलग्न है। इनके हक न्यायहित में सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक 12.11.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (दीपशिखा) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा (ब्यावर) राज.	
12/11/25	प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पत्थरगढ़ी किये जाने में अनापत्ति पेश की। पत्रावली वास्ते बहस। आदेश दिनांक 19/11/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (दीपशिखा) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा (ब्यावर) राज.	(हस्ताक्षर) पत्थरगढ़ी की जाती है तो मुझे कोई आपत्ती नहीं है (हस्ताक्षर) 12/11/25
19/11/2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से टाईप करवा कर न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तामिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (दीपशिखा) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा (ब्यावर) राज.	

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–ब्यावर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 165/2025 (2025/612)

1– श्री अभिषेक कुमार पुत्र पाबू लाल जाति महाजन निवासी मसूदा, तहसील मसूदा जिला ब्यावर

2– श्री कन्हैया लाल माली पुत्र श्री घीसूलाल जाति माली, निवासी राजनगर, बिजयनगर तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर

3– श्री विष्णु पुत्र टीकमचन्द तेली जाति तेली निवासी मसूदा, तहसील मसूदा, जिला ब्यावर

———प्रार्थी

ब ना म

1– मोहम्मद इब्राहिम पुत्र श्री अमीर अहमद जाति मुसलमान निवासी मसूदा, तहसील मसूदा जिला ब्यावर

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा,

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एव 111 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1– श्री महेन्द्रनाथ योगी
2– एकतरफा अप्रार्थी 1
3– पैरोकार सरकार अप्रार्थी संख्या 2

आदेश दिनांकः– 12/11/2025

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एव 111 में सारांशतः निवेदन किया है, मौजा मसूदा द्वितीय, पटवार क्षेत्र मसूदा द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मसूदा, तहसील मसूदा जिला ब्यावर के खसरा नंबर 5967/5839 की भूमि स्थित है। प्रार्थी उपरोक्त आराजी में अपने हक हिस्से की सही जानकारी नहीं होने से आये दिन लडाई झगडा रहता है, तथा सीमा का सही ज्ञान नही होने से प्रार्थी अपने हक हिस्से की आराजियात का सीमाज्ञान करवाकर मेड डलवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त भूमि की नाप चौप कर पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कथन किये है, प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थर गढी करवाने चाहे जाने पर नियमानुसार करवाने के अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहरते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की पत्थर गढी करवाये जाने का कथन किया गया। विवादित भूमियां जो कि प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। एवं तहसीलदार मसूदा ने भी कथन किया है, कि प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी नियमानुसार करवा सकता है ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मसूदा द्वितीय, पटवार क्षेत्र मसूदा द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मसूदा, तहसील मसूदा जिला ब्यावर के खसरा नंबर 5967/5839 के विषय में तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थी के विवादित उक्त खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एवं संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर नियमानुसार मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 12/11/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपशिखा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(दीपशिखा)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (ब्यावर) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मसूदा (ब्यावर)

CamScanner